136/एन०जी०टी०-403/2019/22 02/04/22

सेवा में

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–403/2019 हैदर खान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन के सम्बंध में।**

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे। उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक– एच71962/सी–2/एनजीटी नं0–111/2022 दिनांक 25.02.2022 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बॉदा के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा एवं खनिज विभाग, बॉदा के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, बॉदा को अनुपालन आख्या प्रेषित की गई, जिसके उपरांत जिलाधिकारी, बॉदा के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उपरोक्त प्रकरण में पत्रांक–649/माइन्स–30 बॉदा दिनांक 30.03.2022 को ऑनलाइन अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है**(छायाप्रति संलग्न–1)** तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0 लि0 गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा के विरूद्ध रू0–98,40,000.00(रू0–अठ्ठानवे लाख चालीस हजार) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोंटिस पत्रांक–एच42987/सी–2/एनजीटी–56/22 दिनांक 16.03.2022 को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की गई है।**(छायाप्रति संलग्न–2)** जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

02/4/22

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

e:\uppcb\letter1.docx

136/एन०जी०टी०-403/2019/22 02/4/22

सेवा में

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

विषय— **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0—403/2019 हैदर खान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन के सम्बंध में।**

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे। उक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक— एच71962/सी—2/एनजीटी नं0—111/2022 दिनांक 25.02.2022 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बॉदा के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा एवं खनिज विभाग, बॉदा के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, बॉदा को अनुपालन आख्या प्रेषित की गई, जिसके उपरांत जिलाधिकारी, बॉदा के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उपरोक्त प्रकरण में पत्रांक—649/माइन्स—30 बॉदा दिनांक 30.03.2022 को ऑनलाइन अनुपालन आख्या प्रेषित की गई है**(छायाप्रति संलग्न—1)** तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0 लि0 गाटा सं0—195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम—लहुरेटा, तहसील—नरैनी, जनपद—बॉदा के विरूद्ध रू0—98,40,000.00(रू0—अठ्ठानवे लाख चालीस हजार) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोंटिस पत्रांक—एच42987/सी—2/एनजीटी—56/22 दिनांक 16.03.2022 को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की गई है।**(छायाप्रति संलग्न—2)** जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय

02/4/22

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा।

e:\uppcb\letter1.docx

No. 649/Minc-3 - 30 Banda Date. 30.3.22

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, SITTING AT NEW DELHI

Compliance Report of the Order dated 18th February, 2022

In Re.

ORIGINAL APPLICATION No. 403 OF 2019

IN THE MATTER OF:

Haider Khan .... **Applicant**

Versus

State of U.P.& others............ **Respondents**

To,

The Registar,
National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.
Email - judicial-ngt@gov.in

The humble compliance report of the order dated 18.02.2022, passed by this Hon'ble Tribunal, in the above mentioned Original Application, is submitted as under:-

1. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated18.02.2022, was pleased to direct as under:-

> *"5. In pursuance of above, there is no response from the PP and the State PCB. Reply filed by the District Officer is that compensation for damage to the environment cannot be recovered by the District Officer.*
>
> *6. Learned Counsel for the State PCB states that reply of the State PCB could not be filed and State PCB is bound to recover compensation for damage to the environment as laid down by the Hon'ble Supreme Court and order of this Tribunal referred to above. We have drawn attention of learned Counsel to the statutory mandate under Section 21 (5) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and judgment of the Hon'ble Supreme Court in*

Common Cause vs. Union of India & Ors., (2017) 9 SCC 499 requiring value of 100% of the mineral illegally extracted to be recovered which has not been done. Compensation for damage to the environment has to be over and above the price of illegally mined material.

7. In view of above, the State PCB as well as the District Magistrate, Banda may take further action in accordance with law and file compliance report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The PP is proceeded against ex parte.

8. Having regard to the serious inaction so far in remedying the situation, we direct the District Magistrate, Banda to remain present by way of Video Conferencing along with the Regional Officer of the State PCB so that the Tribunal can interact on the subject. Senior Superintendent of Police, Banda may furnish an action taken report on the FIR in the matter within one month by e-mail."

2. That the aforesaid directions dated 18th February, 2022, the under-signatory under the provisions of sub-section (5) of section 21 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 also imposed the amount of royalty, and price of such mineral, along with penalty total amount Rs.1,45,04,350/= (Rupees one crore, forty-five lakhs, four thousand, three hundred fifty) for illegally mined 10,171.50 cubic metre sand and morrum by M/s R.S.I. Stone World Private Limited and also issued the Recovery Certificate to the Collector, Bhopal, Madhya Pradesh, vide its letter No.47/Khanij-30 Banda dated 6th October, 2020. Thereafter reminder was also sent to the Collector, Bhopal, Madhya Pradesh by Registered letter dated 23.03.2022.

3. That the Regional Officer U.P. Pollution Control Board, Banda also informed vide letter dated 22.03.2022 that by Chief Environment Officer circle-2 U.P. Pollution control board Lucknow on date 16.03.2022 show cause notice has been issued to M/s R.S.I. Stone World Private Limited for depositing Rs.98,40,000/- (Rupees ninety-eight lakhs, forty thousand) only, for the period 01.07.2019 to 30.09.2019, during which no consent has been obtained from the Uttar Pradesh Pollution Control Board, under the provisions of ***the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.***

4. That in the case of ***COMMON CAUSE Vs. Union of India and Others (2017) 9 SCC. The Hon'ble Supreme Court*** has held that 'illegal mining' is not limited to the mining operations only outside the mining lease area, but also govern the mining activities, which has been done against the permitted limit of the Statute, hence such violator is responsible to pay the environmental compensation also.

5. That in view of the show cause notice issued by the member secretary, U.P. Pollution Control, Lucknow for depositing Rs.98,40,000/= (Rupees ninety-eight lakhs, forty thousand) only as environmental compensation, it is evident that the order passed by this Hon'ble Tribunal on 30.09.2021 has been fully complied with by the Uttar Pradesh Pollution Control Lucknow, and the District Administration, Banda; and this Original Application is liable to be disposed of accordingly, in the interest of justice.

PLACE – BANDA
DATE -

29/3

(ANURAG PATEL)
DISTRICT OFFICER,
BANDA.

संलग्नक -1

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2,
चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 63/ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति /22 दिनांक : 22/03/22

सेवा में,

मेसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0,
गाटा नं0–195/1 का भाग, 191 व 3,
ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी,
जनपद–बॉदा।

विषय : बोर्ड द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या– एच 72987/सी–2/एनजीटी–56/22 दिनांक 16.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संलग्न पत्र के सम्बन्ध में आपके स्तर से अपना अभिमत प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(घनश्याम)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–बॉदा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ।
3. खान अधिकारी महोदय, जनपद–बॉदा।

22/3/22
मुख्य पर्यावरण अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0/Ref. No 1172987 ICH-2/NGT-56/22 दिनांक/Date 16-3-22

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0,
गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी,
जनपद– बॉदा

यह कि उद्योग **मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0, गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, बालू मौरम खनन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 05.03.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0, गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा के ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 05.02.2019 के दैनिक समाचार पत्र बॉदा तथा ग्राम लहुरेटा के ग्रामवासियों के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त प्रकरण में ओ0ए0 सं0–403/2019 हैकर खान बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 01.07.2019 को आदेश पारित किया गया कि एम0पी0पी0सी0बी0 व जिला मजिस्ट्रेट, बॉदा के द्वारा उक्त क्षेत्र में की जा रही अवैध खनन की संयुक्त जांच कराकर आख्या प्रेषित की जाये। उक्त आदेश के अनुक्रम में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जांच हेतु दिनांक 27.09.2019 को समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति के अनुसार दिनांक 11.10.2019 को संयुक्त समिति के द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 20.01.2020 को निम्न आदेश पारित किये गये है। जिसके प्रमुख अंश निम्नवत् है–

".........In view of the above, let UP State PCB and District Magistrate, Banda verify factual status in the matter and furnish factual and action taken report to this Tribunal within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. Nodal agency will be the UP State PCB for compliance and coordination. A copy of this order, with a copy of complaint, be sent to District Magistrate, Banda and UP State PCB by e-mail. List for further consideration on 03.04.2020."

उक्त आदेश के अनुपालन में खान अधिकारी, बाँदा के द्वारा दिनांक 06.05.2020 को जांच की गई, जिसमें पाया गया कि मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0 निदेशक श्री वीरेन्द्र सिंह जादोन पुत्र श्री गुलजार सिंह, नि0–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला–भोपाल(म0प्र0) द्वारा जनपद–बॉदा की तहसील–नरैनी स्थित ग्राम–लहुरेटा के गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3, रकबा 33.0 हे0, क्षमता 660000 घन मी0/वर्ष बालू/मौरम खनन पट्टा (दिनांक 28.11.2018 से दिनांक 27.11.2023 तक) स्वीकृत किया गया है। खनिज अधिकारी, बॉदा द्वारा उक्त खनन पट्टे के क्षेत्र की जांच दिनांक 06.05.2020 को की गई उक्त जांच के समय अवैध लोडिंग/खनन सम्बन्धित अनियमितताएं पायी गई, जिसके कारण जिलाधिकारी, बॉदा द्वारा दिनांक 16.01.2020 को रू0–25,000.0 व दिनांक 01.05.2020 को रू0–1,25,000.0 एवं दिनांक 02.06.2020 को रू0–1,43,54,350.0, का दण्ड लगातें हुए नोटिस मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0 प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादोन पुत्र श्री कल्याण सिंह, नि0–टटवाई, जनपद–करौली (राजस्थान) को निर्गत किया गया।

सन्दर्भित प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार जिला खान अधिकारी, बॉदा व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा द्वारा दिनांक 27.06.2020 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिला खान अधिकारी, बॉदा द्वारा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को दिनांक 17.02.2022 को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

खनन अधिकारी, बॉदा के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार उक्त खनन पट्टे की जांच दिनांक 06.05.2020 को की गई थी, जिसमें पाये गये तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी, बॉदा के द्वारा दिनांक 02.06.2020 को मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0 के प्रतिनिधि व पार्टनर को कारण बताओ नोंटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुकम में उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा दिनांक 13.12.2019 व 26.12.2019 के पत्र के द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 24.06.2020 को खान अधिकारी व जिलाधिकारी, बॉदा को प्रेषित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत जिलाधिकारी, बॉदा द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 19.09.2020 में रू0–1,45,04,350.0 की पेनाल्टी जिलाधिकारी, बॉदा द्वारा लगायी गई तथा उक्त खनन परियोजना स्थल के पट्टे को निरस्त करते हुए दो वर्ष हेतु

......2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

काली सूची में डाला गया।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0, गाटा सं0—195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम—लहुरेटा, तहसील—नरैनी, जनपद—बॉदा के विरूद्ध दायर ओ0ए0 सं0—403/2019 हैदर खान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के प्रमुख अंश निम्नवत् हैः—

1. The issue for consideration is remedial action against illegal sand mining , in violation of environmental norms, by M/s R.S.I Stone World Limited, without requisiter Consent from the State PCB, in Tehsil Naraini, District Banda, Uttar Pradesh.
2. Vide order dated 20-01-2020, a joint report was sough from UP State PCB and the District Magistrate, Banda. The State PCB filed its report on 22-09-2020, based on inspection on 06-05-2020 by the Mining officer to the effect that illegal mining was found M/s R.S.I Stone World Limited, without requisite Consent from the State PCB and also in violation of norms. The District Magistrate issued notice to the unit and as per Mining Rules required compensation of Rs. 1.43 Crores and ought to be paid. FIR was also lodged on 15-03-2020, apart from other action.
3. The matter was last considered on 30-09-2021 in light of further report of the State PCB dated 06-09-2021, acknowledging illegal mining by way of overloading of trucks, causing air pollution, mining outside the mining area, mining upto the depth of 6 meters against maximum permitted depth upto 3 meters so that water does not come out, use of Pokland machines, use of lifter machines, part of which were found inside the kane river. The District Magistrate, Banda cancelled the lease and blacklisted the Project Proponent and also levied penalty....

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2022 के अनुपालन में उक्त उद्योग के विरूद्ध अवैध खनन किये जाने तथा बोर्ड से पर्यावरर्णाय स्वीकृति उपरान्त वैद्य सहमति न होनें के कारण उक्त खनन परियोंजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करनें हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ओ0ए0 सं0—593/2017 (WP(Civil) No.375/2012, Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs. Union of India) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु फार्मूला बनाया गया जो निम्नवत् है—

Sand Mining Penalty EC=PI*N*R*S*LF

Where EC is Environmental Compensation in Rs., PI= Pollution Index of Industrial sector, N= Number of days of Violation took place, R=A factor in Rupees(Rs.) for EC, S= Factor for Scale of Operation, LF=Location Factor

EC=80*N*250*1*1.

EC=20,000*N

Calculation of Violation Days N=(24.11.2018 to 30.06.2019) + (01.10.2019 to 30.06.2020) (पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र में दी गई शर्तो के अनुसार मानसून अवधि दिनांक 01.07.2019 से 30.09.2019 तक खनन कार्य न करने हेतु सशर्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र में शर्त अधिरोपित की गई है, जिसके अनुपालन में उक्त अवधि में खनन कार्य बन्द रहा है।) जिलाधिकारी, बॉदा के आदेशानुसार दिनांक 19.09.2020 के आधार पर उक्त सैण्ड माइनिंग परियोजना को खनन हेतु खनन पट्टा 02 वर्ष के लिए निरस्त करते हुए काली सूची में डाला गया है।

N = (219) + (273) = 492 Days.

EC = 20,000*492

Total Imposed EC = Rs. 98,40,000.0/-

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 05.03.2022 के द्वारा आपके उद्योग के विरूद्ध कुल 492 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0—98,40,000/—(रू0 अट्ठानबे लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....3.....

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :--

1. यह कि क्यों न **मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोंन वर्ल्ड प्रा0लि0, गाटा सं0—195/1 का भाग, 191 व 3, ग्राम—लहुरेटा, तहसील—नरैनी, जनपद—बॉदा** पर 492 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0—98,40,000/—(रू0 अट्ठानबे लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार उद्योग के विरूद्ध रू0—98,40,000/—(रू0 अट्ठानबे लाख चालीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी (वृत्त—2)

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, बॉदा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, प्रभारी (वृत्त—2)